रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 250] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 22, 1975/पौष 1, 1897
No. 250] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 22, 1975/PAUSA 1, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 22nd December 1975

SUBJECT:—*Export of non-levy Aluminium Metal, unwrought (ingots).*

No. 52-ETC(PN)/75.—It has been decided to regulate export of non-levy Aluminium metal, unwrought (ingots) as under:—

(i) Export of non-levy aluminium metal, unwrought (ingots) will be allowed within a limited specified ceiling;

(ii) Export will be allowed only against contracts supported by irrevocable letters of credit duly accepted by Banks in India;

(iii) Export will be allowed only by primary producers of aluminium metal;

(iv) The licensing endorsements made in the shipping bills will be valid for shipment upto a period of six months or upto 31-12-1976 whichever date is earlier; and

(v) Licensing will be centralised with the Joint Chief Controller of Imports & Exports, Central Licensing Area, New Delhi, who will pass shipping bills presented to him on first-come, first served basis.

2. The existing export policy of Aluminium metal, unwrought (ingots) may be deemed to have been amended accordingly with immediate effect.

3. Export of Aluminium Semis, Extrusions and manufactures will continue to be decontrolled.

(MISS) ROMA MAZUMDAR,
Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 1975

विषय.—गैर-उगाही वाली एल्यूमिनियम धातु अनगढ़ (सिल्लियों) का निर्यात ।

सं० 52-ई टी सी (पी एन)/75.—यह निश्चय किया गया है कि गैर-उगाही वाली एल्यूमिनियम धातु अनगढ़ (सिल्लियों) का निर्यात तुरन्त निम्नलिखित अनुसार नियमित किया जाए :—

(1) गैर-उगाही वाली एल्यूमिनियम धातु अनगढ़ (सिल्लियो) के निर्यात की अनुमति विशिष्टीकृत नियत उच्चतम सीमा के भीतर दी जाएगी ;

(2) निर्यात की अनुमति केवल अपरिवर्तनीय साख-पत्रों द्वारा समर्थित और भारत में बैंकों द्वारा विधिवत् स्वीकृत संविदाओं के प्रति दी जाएगी ;

(3) निर्यात की अनुमति केवल एल्यूमिनियम धातु के प्राथमिक उत्पादकों द्वारा दी जाएगी;

(4) पोत परिवहन बिलों पर किए गए लाइसेंस-पृष्ठांकन 6 महीनों या 31-12-1976 तक, इनमें जो भी तिथि पहले हो उस अवधि के लिए वैध होंगे; और

(5) लाइसेंसिंग, संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, केन्द्रीय लाइसेंस क्षेत्र, नई दिल्ली से केन्द्रित किया जाएगा जो कि उसको प्रस्तुत किए गए पोत परिवहन बिलों को पहले आए सो पहले पाए के आधार पर पारित करेगा ।

2. एल्यूमिनियम धातु, अनगढ़ (सिल्लियों) की वर्तमान निर्यात नीति तत्काल से तदनुसार संशोधित समझी जाए ।

3. एल्यूमिनियम सेमिस, निस्सारणों और विनिर्माणों का निर्यात विनियंत्रित रहेगा ।

(कुमारी) रोमा मजुमदार,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975